

Section of BNSS

176(3)

कार्यालय अति.महानिदेशक पुलिस, (अपराध शाखा)राज., जयपुर।

क्रमांक:- 22339-4/15

दिनांक:- 07/10/2024

पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर,
पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर,
समस्त महानिरीक्षक रेंज राज.,
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राज.।

विषय:-अपराध के घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित करना, डिजिटल संसाधन से साक्ष्य संग्रहण एवं डी.एन.ए.-नमूना संग्रहण के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रणाली।

अपराध घटनास्थल पर एफएसएल टीम के मौके पर पहुंचने से पूर्व पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

1. घटनास्थल पर अनुसंधान से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य होते हैं, अतः पुलिस अधिकारी को अविलम्ब घटनास्थल पर पहुंचना चाहिए।
2. अनुसंधान करने वाले पुलिस अधिकारी का यह दायित्व है कि वह घटनास्थल को सुरक्षित करे।
3. घटनास्थल निरीक्षण में देरी के कारण साक्ष्यों या तथ्यों से छेड़छाड़ एवं नष्टीकरण की प्रबल संभावना रहती है, अतः अपराध के घटनास्थल का संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है।
4. घटनास्थल की सुरक्षा हेतु उपलब्ध जाबू की सहायता लें।
5. घटनास्थल को रस्सी/प्लास्टिक टेप का प्रयोग कर सुरक्षित करें।
6. अपराध स्थल पर प्रवेश एवं निकास के लिए उचित स्थान का चयन कर सुरक्षा डोरी से अंकित करें।
7. केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही चिन्हित प्रवेश मार्ग से घटनास्थल में प्रवेश दिया जावे।
8. घटनास्थल का क्लॉकवाईज या एन्टीक्लॉकवाईज गहनता से निरीक्षण करें।
9. घटनास्थल पर महत्वपूर्ण साक्ष्यों की पहचान करें।
10. साक्ष्यों की पहचान के संबंध में यह ध्यान रखा जाए कि आवश्यक साक्ष्य छूट न जाए और अनावश्यक साक्ष्य सम्मिलित न हों।
11. अपराध स्थल पर किसी भी वस्तु को अनावश्यक न छुआ जावे, यदि आवश्यक हो तो दस्तानों का प्रयोग करें।
12. घटनास्थल पर साक्ष्य पदचिन्ह, टायर मार्क्स इत्यादि जो वर्षा, हवा के कारण प्रभावित हो सकते हैं, उन्हें किसी वस्तु से ढक दे।
13. रक्त, वीर्य, उल्टी, बाल, रसायन, ज्वलनशील पदार्थ, हड्डियों, टूलमार्क आदि को ज्यों को त्यों सुरक्षित रखें एवं रंगीन चॉक/मार्किंग पेन्सिल से चिन्हित करें।
14. अपराध स्थल की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करावें।
15. फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करते समय आवश्यकतानुसार स्केल का प्रयोग करें।

भौतिक साक्ष्यों को निम्न लिखित से यथासंभव सुरक्षित रखना चाहिए

- क्षति से (From Loss) : सूक्ष्म भौतिक साक्ष्य जैसे बाल, रेशे, पेन्ट की पपड़ी पैकिंग के दौरान नष्ट हो सकते हैं अथवा उचित पैकिंग के अभाव में पैकेट के किनारे से बाहर निकल सकते हैं, अतः उचित सावधानी अपनायी जानी चाहिए।

- खराब होने से (From Deterioration) : जैविक द्रव्य जैसे कि गीला रक्त एवं वीर्य के धब्बे तेजी से खराब होते हैं, इसलिए इन्हें बिना धूप के हवा में सुखाकर पैक करना चाहिए।
- टूट-फूट से (From Damage) : खुले स्थान पर पदचिन्ह, पादुका चिन्ह, टायर चिन्ह, खून के धब्बों आदि को यथासंभव हवा एवं पानी से बचाना चाहिए।
- दूषित होने से (From Contamination) : यदि भौतिक साक्ष्य को सही तरीके से संरक्षित नहीं किया जाए तो उसमें बाहरी वस्तु मिल जाने की आशंका बनी रहती है जिससे परीक्षण परिणाम भी प्रभावित हो सकते हैं।
- परिवर्तन से (From Tampering) : घटनास्थल पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महत्वपूर्ण साक्ष्यों में जाने या अनजाने से अवांछित परिवर्तन न होने पायें।
- यह ध्यान रखना चाहिए कि body fluids को धूप में सुखाने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए।

विभिन्न प्रकार के भौतिक साक्ष्यों की सुरक्षा

1. गोली बारूद (Ammunition) : इसमें जिवित, चने हुए कारतूस खोल, मिसफायर कारतूस, बुलेट, पेलेट्स, बेड्स आदि सम्मिलित हैं।

- टिसूपेपर में लपेट कर प्रत्येक को प्लास्टिक बैग में रख कर पृथक्-पृथक् प्लास्टिक या कार्डबोर्ड डिब्बे में रख कर उचित लेबिल लगाना चाहिए। कारतूस आदि पर कोई चिन्ह नहीं बनाना चाहिए।
- यदि बुलेट या पेलेट्स मनुष्य के शरीर से निकाले गये हैं तो सावधानी पूर्वक धोकर एवं वायु से सुखाकर पैक करना चाहिए।

2. गनशॉट अवशेष (Gunshot Residues) :

हाथों पर (On hands)

- यदि दृश्य साक्ष्य हो तो फोटोग्राफी करायें।
- 5 प्रतिशत नाइट्रिट अम्ल के घोल में साफ कपास से हाथ पोंछकर सुरक्षित रखें।
- सादा कपास का बतौर नमूना रखें।
- आधुनिक तकनीक के अन्तर्गत एडहेसिव एसईएम स्ट्रिप में अवशेषों को संग्रहित कर सुरक्षित रखें।

कपड़ों पर (On Clothing)

- यदि सदृश्य हो तो फोटोग्राफी ले लें।
 - संपूर्ण कपड़े को कागज के बैग में पैक कर लें
3. कपड़े पर बुलैट छिद्र (Bullet hole on clothing) :
- छिद्र का रंगीन फोटो लें।
 - छिद्र के उपर कागज पिनअप करके सुरक्षित कर दें।
 - छिद्र के पीछे कार्डबोर्ड रखकर पैक करें जिससे छिद्र के आसपास कपड़ा मुड़े नहीं।

4. चमड़ी में बुलैट का छिद्र (Bullet hole in the skin) :

- छिद्र का रंगीन फोटो लें।
- छिद्र के काले घेरे से कुछ बाहर से चमड़ी काटकर सीधी स्थिति में फैला लें।
- ग्लास जार में 10 प्रतिशत फार्मेलीन के घोल में सुरक्षित करें।

5. अग्निकांड का मलबा (Fire Debris) :

- संदिग्ध अग्निकांड स्थल से मलबा इकट्ठा कर लें।
- बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे भाग में काटकर पैक करें।
- नमूने के लिए अलग अलग स्थान से मलबा इकट्ठा करें।

6. रेशे (Fibers) :

- यदि संभव हो तो चिमटी से रेशों का इकट्ठा कर लें अथवा प्रदर्श, जिसमें रेशे पाये जाने की संभावना हो उसे ही सुरक्षित रख लें।
- टेप लिफ्टिंग तकनीक के द्वारा पारदर्शी एडहसिव्ह टेप को रेशे पाये जाने के स्थान पर रख कर संकलन करें एवं साफ प्लास्टिक शीट पर चिपका दें।

7. दस्तावेज (Documents) :

- सफेद सूती दस्ताने पहनकर चिमटी से दस्तावेज उठाएँ, तथा पूर्व से लेबिल लगे प्लास्टिक बैग में पैक करें।

8. कांच (Glass) :

घटनास्थल से (From Crime scene)

- फ्रेम के निकालने से पूर्व कांच का दोनों तरफ से फोटोग्राफ लें।
- कांच के टूटे बारीक टुकड़ों को पहले संकलित करें।
- कांच के सभी टुकड़ों की किनारी सुरक्षित रखते हुए टिसू पेपर में लपेट लें।
- घटनास्थल से लगभग सभी टुकड़ों को संकलित करें।

कपड़ों पर (On Clothing)

- सर्वप्रथम कांच के बारीक टुकड़ों को संकलित करें।
- संपूर्ण कपड़े को पृथक् से पैक कर लें।
- प्लास्टिक थैली अथवा बैग में पैकिंग करें।

9. बाल (Hairs) :

- चलायमान वस्तु से वास्तविक स्थिति में संकलित करें।
- स्थिर वस्तु से चिमटी द्वारा बालों को संकलित करें।
- बतौर नमूना आवश्यकतानुसार सिर अथवा गुप्तांग के 20-30 बाल उखाड़ कर संकलित करें।

10. पेन्ट (Paint) :

औजार अथवा वाहन पर (On Tool or Vehicle)

- स्कैल के साथ रंगीन फोटोग्राफ लें।
- औजार एवं वाहन के जिस भाग पर पेन्ट लगा हो, उसे सम्पूर्ण अवस्था में संकलित करें।
- पेन्ट की चिप्स को पृथक् से संकलित करें।
- पेन्ट के टूटे हुए चिप्स को और अधिक टूटने से बचाते हुए संकलित करें।
- मिलान हेतु प्रत्येक रंग के नमूने पृथक्-पृथक् संकलित करें।

11. मिट्टी (Soil) :

- संदेही के जूते एवं संदिग्ध वाहन से मिट्टी संकलित करें।
- संदेही के मिट्टी लगे कपड़े संकलित करें।

- घटनास्थल एवं उसके आसपास की मिट्टी के आवश्यकतानुसार एक से अधिक नमूने संकलित करें। (प्रत्येक लगभग 40-50 ग्राम)।

12. औजार (Tool) :

- जहाँ पाया गया हो उस स्थान पर औजार की स्थिति दर्शाते हुए फोटोग्राफ लें।
- औजार के उस सिरे, जिसे प्रयोग में लाया जाता है, कपास से लपेट कर सुरक्षित करना चाहिए।

13. औजार चिन्ह (Tool-Mark) :

- सर्वप्रथम दूर व पास से स्केल के साथ फोटोग्राफ लें।
- कार्ट तैयार की जानी चाहिए।
- यदि संभव हो तो सम्पूर्ण वस्तु को संकलित किया जाना चाहिए।

14. तार काटना (Wire-cutting) :

- घटनास्थल का फोटोग्राफ लें।
- तार के कटे हुए शिरो को टिशू पेपर अथवा कपास में सुरक्षित किया जाना चाहिए।
- कटे हुए शिरो को चिन्हित किया जाना चाहिए।
- आरोपी से जब तार के कटे हुये शिरो को भी उपरोक्तानुसार सुरक्षित एवं चिन्हित किया जाना चाहिए।

15. रक्त (Blood) :

रक्त सोखे हुए पदार्थ (On Blood Absorbent Material)

- उक्त पदार्थ के रक्त सोखित भाग को काट कर, हवा में सुखाए

Font (On Non-Absorbent Material)

- यदि रक्त गीला हो तो साफ कपास में सोख कर, हवा में सुखाकर संकलित करें।

16. रक्त धब्बों का पैटर्न (Blood Stains Pattern) :

- घटनास्थल पर पाये गये रक्त के धब्बों का कलर फोटोग्राफ लिया जाना चाहिए।
- प्रत्येक धब्बों का 90 डिग्री कोण से भी फोटोग्राफ लिया जाना चाहिए।

17. कपड़े (Clothing) :

- सर्वप्रथम कपड़ों का विवरण एवं रंगीन फोटोग्राफ लें।
- संदेही के शरीर से कपड़े उतार कर साफ एवं सफेद कागज में सुखाना चाहिए।
- यदि कपड़ों में अन्य कोई सूक्ष्म पदार्थ चिपका हो तो उसे पृथक् से संकलित करना चाहिए।

19. बीड़ी व सिगरेट के ठूठ (Bidi & Cigarette Stubs) :

- चिमटी की मदद से उठाकर, वायु में सुखाना चाहिए।
- संभावित अंगुली चिन्ह अथवा लिपिस्टिक का परीक्षण भी किया जाना चाहिए।

20. वीर्य के धब्बे (Seminal Stains) :

- सर्वप्रथम वीर्य के धब्बों के पैटर्न का रंगीन फोटोग्राफ लेना चाहिए।
- दस्ताने पहनकर धब्बों को एकत्रित करें।
- वायु में सुखाना चाहिए।

डिजिटल डिवाइस / प्रदर्श को एफ.एस.एल. भिजवाने एवं परीक्षण हेतु राय के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश

1. प्रकरण को अधिकृत अग्रेषण अधिकारी द्वारा एफ.एस.एल. में परीक्षण के लिए भेजे जाने वाले डिजिटल प्रदर्श को पैकेट में सील कर भेजे जाना चाहिए।
 2. प्रकरण की पत्रावली के साथ पैकेट का मूल नमूना सील पत्र एवं परीक्षण किये जाने हेतु अधिकार पत्र भी भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पैकेट फर्द जब्ती और नमूना सील पत्र पर उचित केस डिटेल, मार्किंग एवं अनुसंधान अधिकारी के हस्ताक्षर भी होना चाहिए।
 3. अग्रेषण पत्र में प्रकरण की सामान्य जानकारी, पैकेट एवं प्रदर्शों का विवरण और विशिष्ट राय होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सिल्ड पैकेट पर केस डिटेल, मार्किंग एवं अनुसंधान अधिकारी के हस्ताक्षर भी होना चाहिए।
 4. कम्प्यूटर/मोबाइल/डी.वी.आर. आदि से डाटा प्राप्त करने हेतु प्रकरण से सम्बन्धित विशिष्ट राय ही पूछी जाये। इसके लिये डाटा से सम्बन्धित सलेक्टेड की-वर्ड/चाहा गये डाटा से संबंधित फोटो-प्रति, स्कैन्ड दस्तावेज/पिक्चर फाईल कि स्थिति में फाईल नेम या उसकी फॉटो-प्रति वीडियो फाईल कि स्थिति में उस वीडियो फाईल का विवरण फर्द जब्ती अथवा अग्रेषण पत्र में अंकित कर उपलब्ध करवाया जाये। इस हेतु उपलब्ध करवायी गई हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी (सीडी/डीवीडी/पेनड्राइव/मैमोरी डिवाइस/हार्ड कॉपी आदि) मय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की प्रति को अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर मय प्रकरण विवरण अंकित कर पूर्ण सुरक्षा के साथ सिल्ड पैकेट में भिजवाया जाना चाहिए।
 5. डिजिटल प्रदर्श में मौजूद ओडियो/वीडियो/पिक्चर फाईल के ऑथेंटिकेशन/एनहांसमेंट अथवा मिलान किये जाने आदि प्रकरणों के लिए दिशा निर्देश
 - कम्प्यूटर/मोबाइल, डी.वी.आर. आदि उपकरणों में उपलब्ध पिक्चर/वीडियो फाईल में से संदिग्ध के चेहरे आदि कि पहचान हेतु संबंधित के चेहरे आदि के विभिन्न कोणों से फोटोग्राफ/वीडियो (कम से कम सामने का फेस तथा दायी व बायी ओर की फोटोग्राफ) उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
 - ओडियो/वीडियो/पिक्चर ऑथेंटिकेशन/टेम्परिंग के प्रकरणों में ओडियो/वीडियो की मूल स्टोरेज अथवा मूल रिकार्डिंग डिवाइस उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। अपवादिक परिस्थिति में मूल स्टोरेज अथवा मूल रिकार्डिंग डिवाइस के नहीं मिलने की स्थिति में उपलब्ध करवायी गई डिजिटल डिवाइस में ओडियो/वीडियो की निरन्तरता/सततता (कंटीन्यूटी) के संबंध में ही परीक्षण किया जा सकता है। अतः उक्तानुसार प्रकरण में राय पूछी जानी चाहिए।
- (i) कम्प्यूटर, लैपटॉप, पेनड्राइव, मैमोरी कार्ड आदि के लिए
- विशिष्ट राय की जानकारी उपलब्ध न होने कि स्थिति में मैमोरी डिवाइस (हार्डडिस्क) का क्लोन बनवाया जा सकता है। हार्डडिस्क की मिरर इमेज/क्लोन हेतु समान ब्रांड, मॉडल एवं क्षमता/अथवा समान एल.बी.ए. वेल्फू अथवा उच्च क्षमता की हार्डडिस्क भिजवायी जानी आवश्यक है।
- (ii) मोबाइल फोन, टेबलेट आदि के लिए
- मोबाइल के डाटा की दिनांक तथा समय सम्बन्धित राय होने पर इन प्रादर्शों की जब्ती के समय चालू स्थिति में पाये जाने पर मोबाइल/कंप्यूटर/डी.वी.आर. का डिस्ले टाइम, टाइम जोन तथा वास्तविक समय फर्द जब्ती में अंकित किया जाना चाहिए।

- मोबाईल/प्रकरण में वॉट्सएप/एसएमएस चैट गैसोज की राय होने कि स्थिति में संबंधित मोबाईल नम्बर/सही कॉन्टेक्ट नेम आदि की जानकारी संबंधित राय में पूछी जानी चाहिए।
- बलाखंड अथवा सोशल मीडिया अथवा गेल आदि के डेटा के लिए संबंधित का सही यूजर नेम तथा पासवर्ड उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

(iii) सी.सी.टी.वी. प्रकरण/डी.वी.आर. आदि के लिए

- डी.वी.आर. से डाटा प्राप्त करने हेतु प्रकरण से सम्बन्धित विशिष्ट राय ही पूछी जाये इसके लिये वीडियो से सम्बन्धित विशिष्ट दिनांक, समय अथवा विशिष्ट समयावधि उपलब्ध करवाया जाये।
- डी.वी.आर. के डाटा की दिनांक/समय सम्बन्धित राय होने पर इन प्रादर्शों की जल्दी के समय चालू स्थिति में पाये जाने पर डी.वी.आर. का डिस्प्ले टाइम, टाइम जोन तथा वास्तविक समय फर्द-जल्दी में नोट किया जाना चाहिए।
- सी.सी.टी.वी. फुटेज के वीडियो टेपिंग की राय के लिए प्रकरण से संबंधित विशिष्ट घटना की ही दिनांक/समय/विशिष्ट समयावधि आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- अपवादिक परिस्थिति में मूल डीवीआर मय हार्डडिस्क जब नहीं किए जाने की स्थिति में प्रकरण से संबंधित वीडियो को सीडी/डीवीडी/पेनड्राइव में कॉपी कर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की प्रति के साथ सील्ड पैकेट में भिजवाए जाना चाहिए। ऐसे सेकंडरी डिजिटल प्रदर्श तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र को अनुसंधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जाना उचित रहता है।

डिजिटल डिवाइस/प्रदर्श(कम्प्यूटर/लैपटॉप/पेनड्राइव/मैमोरी कार्ड/सी.डी./ डि.वी.डी./मोबाईल फोन, टेबलेट/डि.वी.आर./एन.वी.आर. आदि) की सर्च एवं आईडेंटिफिकेशन के लिए आवश्यक चैकलिस्ट एवं आवश्यक दिशा-निर्देश

1. घटनास्थल/अनुसंधानस्थल/रेड के स्थान के लिए योजना एवं तैयारी
 - ❖ अनुसंधान अधिकारी द्वारा अन्य टीम सदस्य के साथ निम्न संक्षिप्त जानकारी
 - घटित अपराध की विस्तृत जानकारी
 - संबंधित अधिनियम, रेड का स्थान की जानकारी
 - अपराध घटनास्थल अनुसंधान की प्रस्तावित रणनीति
 - ❖ घटनास्थल/अनुसंधानस्थल/रेड के लिए आवश्यक उपकरण
 - कैमरा/वीडियो कैमरा (एक्सट्रनल मैमोरी कार्ड सहित)
 - साक्ष्य लेबलिंग सामग्री (मार्कर, स्टिकर, टाई-ऑन टैगिंग)
 - साक्ष्य पैकेजिंग (एंटी-स्टैटिक बैग, एल्यूमिनियम फॉइल, बबल रेपर, कार्डबोर्ड बॉक्स, कपड़े का बैग, अथवा कपड़ा, धागा, वैक्स, मोमबत्ती, माचिस तथा आई.ओ. ब्रास सील आदि)
 - इमेजिंग उपकरण (लेपटॉप, पेनड्राइव, ट्रायज टूलकिट, इमेजिंग उपकरण आदि)
 - प्री- एनालिसिस सॉफ्टवेयर (एनकोस, एफ.टी.के. इमेजर, रेम केप्चर सॉफ्टवेयर युक्त पेनड्राइव)
 - अधिग्रहित डाटा को संग्रहित करने के लिए स्टोरेज डिवाइस (हार्डडिस्क, पेनड्राइव, आदि)

- प्लायर, वायर कटर, टॉर्च तथा स्क्रू ड्राइवर सेट आदि उपकरण
 - ❖ घटनास्थल/अनुसंधानस्थल/रेड के लिए दस्तावेज तैयार करे
 - जांच डायरी, जल्दी हेतु दस्तावेज और चेन ऑफ करस्टडी फॉर्म
2. सर्वप्रथम अपराध घटनास्थल/अनुसंधानस्थल/रेड के स्थान को सुरक्षित करे।
 3. घटनास्थल/अनुसंधानस्थल/रेड के स्थान के आसपास वायरलेस कनेक्शन और सीरीटीवी/नेटवर्क आदि सुविधाओं की पहचान करे।
 4. घटनास्थल/अनुसंधानस्थल/रेड के स्थान तथा डिजिटल एविडेंस के स्थान का स्कैच एवं नेटवर्क एवं पावर कनेक्शन आदि का भी स्कैच संबंधित दस्तावेज बनाए अथवा विडियोग्राफी कैमरे से विडियोग्राफी रिकॉर्ड/पिक्चर केप्चर करवाये।
 5. प्रकरण से संबंधित व्यक्ति, परिसर के प्रभारी व्यक्ति, और परिसर में मौजूद अन्य सभी लोगों की पहचान करे एवं प्रकरण से संबंधित एवं प्रयुक्त उपकरण आदि के संबंध में संक्षिप्त इंटेरोगेशन में एकत्रित की जाने वाली जानकारी एकत्रित करे।
 6. यदि आवश्यक हो तो संबंधितों के वाहनों की भी जांच करे।
 7. यदि आवश्यक हो तो रेड के स्थान पर तकनीकी व्यक्ति की पहचान करे और उससे पूछताछ करे।
 8. प्रकरण से संबंधित डिजिटल उपकरण अथवा संबंधितों के डिजिटल उपकरण की पहचान करे।
 9. प्रकरण के तथ्यों के आधार पर संभावित प्रदर्श की पहचान करे।
 10. अनुसंधान अधिकारी द्वारा डिजिटल प्रदर्श की सर्चिंग के दौरान अधिक संख्या में डिजिटल प्रदर्श होने की स्थिति में अनुसंधान अधिकारी को उचित रूप से अनुसंधान कर प्रकरण से संबंधित डिजिटल प्रदर्श की स्कूटनी करके ऐसे डिजिटल प्रदर्श को ही जब्त किया जाना चाहिए, जिसमें प्रकरण से संबंधित साक्ष्य मौजूद हो या होने की संभावना हो।
 11. क्लाउड/इंटरनेट आधारित प्रकरण जैसे वीओआईपी कालिंग, ऑनलाइन सट्टे बाजी, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन डाटा एंट्री, इत्यादि प्रकरणों में सर्च/सिजर के दौरान कंप्यूटर/लेपटॉप/मोबाइल फोन के चालू हालत होने की स्थिति में अनुसंधान अधिकारी द्वारा संबंधित डिवाइस के चालू विंडो/एप्लीकेशन तथा प्रकरण से संबंधित साक्ष्य की विडियोग्राफी ऐसे डिजिटल कैमरे में करवायी जानी उचित रहती है जिसमें रिकॉर्डिंग एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड में सेव हो ताकि संबंधित साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।
 12. डिजिटल एविडेंस के क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर के संदर्भ में पोस्ट अपलोड करने से संबंधित प्रकरण में संबंधित पोस्ट एवं इस पोस्ट का यूआरएल एड्रेस मय पोस्ट आई डी नोट किया जाना चाहिए और संबंधित पोस्ट का फोटोग्राफ केप्चर कर सॉफ्ट कॉपी, यदि आवश्यक हो तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की प्रति को अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर, रखना चाहिए क्योंकि कुछ समय पश्चात् इनका टोकन एक्सपाइर होने की संभावना रहती है।

डी.एन.ए खण्ड

डी.एन.ए अनुभाग में हत्या, दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार, नवजात शिशु की अदला-बदली, संदिग्ध पैतृकता, व्यक्ति की सुनिश्चित पहचान, महिला भ्रूण हत्या, गुमशुदगी, वम विध्वंस, आतंकी एवं आपदा विध्वंसात्मक घटना, मानव तस्करी आदि से सम्बन्धित भौतिक साक्ष्य जैसे शारीरिक द्रव (रक्त, वीर्य, लार आदि) लगे कपड़े, टीश्यू, अस्थियाँ, दाँत, बाल, सिगरेट-बीड़ी, गुटका, हथियार लिफाफा व च्यूड़गम पर उपस्थित लार, दूधग्रश, त्वचा, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, भ्रूण, सड़े-गले, क्षत-विक्षत या आंशिक जले शव अवशेष से अथवा बम-विध्वंस के उपरांत प्राप्त शव के ऊत्तक-अंग, आदि का परीक्षण किया जाता है। विभिन्न जैविक प्रादर्शों के डीएनए परीक्षण हेतु निम्न प्रकार संरक्षित किया जाना चाहिये

अपराध	नमूना/प्रादर्श के प्रकार	सैम्पलिंग विधि एवं मात्रा	पैकिंग/स्टोरेज	सामान्य वांछित राय
हत्या हत्या का प्रयास, गुमशुदगी, आतंकी एवं विध्वंसात्मक घटना आदि में, व्यक्ति की सुनिश्चित पहचान की आवश्यकता	1. कंकाल / अस्थियाँ 2. क्षत विक्षत / सड़ा-गला शव	- कंकाल से एक पूर्ण लम्बी अस्थि व दो-तीन पूर्ण मोलर दाँत (दाढ़) - क्षत विक्षत / सड़े-गले शव से दो-तीन पूर्ण मोलर दाँत (दाढ़)	- प्रादर्शों को पूर्णतया खुली हवा में सुखावे। - अस्थि को साफ कागज में लपेट कर सूती कपड़े की थैली में पैक करे। - दाँत को छोटी शीशी में पैक करें।	घटनास्थल पर मिले साक्ष्य जैसे घटना में प्रयुक्त हथियार बाल/रक्त/ऊत्तक एवं मृतक/पिड़ित / अभियुक्तों के कपड़ों पर उपस्थित रक्त आदि का डी. एन.ए. आपस में मेल खाता है या नहीं ?
	शव से तरल रक्त की प्राप्ति	पोस्टमार्टम के समय हृदय से 2-3 मि.ली. रक्त लिया जावे	E.D.T.A युक्त शीशी काम में ली जावे तथा बर्फ (कोल्ड-चेन) में संरक्षित करें।	अज्ञात मृतक के प्रादर्शों (दाँत/अस्थियाँ/ऊत्तक/बाल/रक्त या अन्य सेम्पल) का डी.एन.ए. एवं अज्ञात मृतक के संभावित माता-पिता के कन्ट्रोल रक्त सेम्पल के डी.एन.ए. से मिलान होता है अथवा नहीं ?
	घटनास्थल व अन्य स्थानों से प्राप्त शारीरिक द्रव (रक्त, वीर्य, लार आदि) के सूखे धब्बे	साफ सफेद सूती कपड़े को नम करके धब्बों के ऊपर रगड़ कर स्वेब बनाएं।	स्वेब को छाया में सुखाने के पश्चात् कागज के लिफाफे में सील पैक करें।	अज्ञात मृतक के दाँत, अस्थि, रक्त आदि प्रादर्शों से डी. एन.ए. प्रोफाइल

				तैयार की जावें। जिसका मिलान मृतक के संभावित माता पिता का ज्ञान होने पर किया जावेगा।
	घटना के समय के मृतक व अभियुक्त के शारीरिक द्रव युक्त वस्त्र	• छाया में पूर्ण रूप से सुखाया जावे।	अलग-अलग कपड़ों को अलग-अलग कागज में लपेटकर कपड़े की थैली में सील पैक करें।	
	घटना में प्रयुक्त हथियार	• हथियारों पर लगे सम्भावित रक्त के धब्बों को सुखाया जावें	कागज में लपेटकर कपड़े की थैली में सील पैक करें।	
	रक्त का नमूना (कन्ट्रोल सेम्पल)	• रक्त के कन्ट्रोल सेम्पल हेतु एफ. टी.ए. कार्ड का प्रयोग करें। • एफ.टी.ए. कार्ड पर रक्त अधिक मात्रा में नहीं लिया जाना चाहिये।	• एफ.टी.ए. कार्ड जिला फोरेन्सिक यूनिट के वैज्ञानिक की देख-रेख में बनवाये जाने चाहिये। • एफ.टी.ए. कार्ड पर सेम्पल दाता का नाम व प्रकरण का विवरण लिखे। • एफ.टी.ए. कार्ड को कागज के लिफाफे में पैक व सील कर लिफाफे पर सम्पूर्ण विवरण लिखा जाना चाहिये।	

		• 'एफ.टी.ए.' कार्ड उपलब्ध नहीं होने पर तरल रक्त संरक्षित किया जावे। • रक्त सेम्पल हेतु 2-3 मि.ली. रक्त की मात्रा पर्याप्त है।	• तरल रक्त ई.डी.टी.ए. युक्त शीशी में एकत्रित करें। • एकत्रित करने के लिए सदैव डिस्पोजेबल सिरीज का प्रयोग करें। • तरल अवस्था में रक्त को बर्फ युक्त थर्मस अथवा कूलेन्ट पैक के साथ थर्मोकॉल बॉक्स में पैक करें। • सेम्पल के पैक पर वाटर प्रूफ मार्किंग से लेबल लगाकर केस व व्यक्ति का विवरण लिखा जाना चाहिये।	
	ऊतक / अंग / भ्रूण / अवशेष आदि	• नमूना जीवाणु रहित बर्तन में नार्मल सेलाईन में पैक करें। नार्मल स्लाईन मेडिकल स्टोर पर 0.9 प्रतिशत एन.एस. के नाम से उपलब्ध होता है।	• प्रादर्शों की शीशी/डिब्बे को यथा संभव बर्फ से भरे थर्मस अथवा थर्मोकॉल के डिब्बे में रखें।	
	घटनास्थल, मृतक के मुट्ठी व अन्य स्थानों से प्राप्त बाल	• बाल को चिमटी से उठाकर साफ पेपर में रखें, तथा सावधानी पूर्वक पेपर को इसप्रकार फोल्ड करें जिससे कि बाल बाहर नहीं निकल सकें।	बाल युक्त पेपर को छोटी शीशी में सील पैक करें। अलग-अलग स्थान से प्राप्त बाल अलग-अलग सील पैक करें।	

दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म / अप्राकृतिक दुष्कर्म	घटना के समय के पीड़ित व अभियुक्त के शारीरिक द्रव युक्त वस्त्र	• शारीरिक द्रव युक्त वस्त्रों को छाया में पूर्ण रूप से सुखाया जाये।	अलग-अलग कपड़ों को अलग-अलग कागज में लपेटकर कपड़े की थैली में सील पैक करें।	• पीड़िता के प्रादर्श (कपड़े, वेजाइनल / एनल स्वाब / स्मीयर आदि) वेजाइनल
--	---	---	---	---

रक्त के नमूने (कंट्रोल सेम्पल)	मैडिकल ऑफिसर द्वारा जवाब पिटित / अभियुक्त के प्रादर्श (वेजाइनल / यूनिथल / एनल स्वाब / स्मीयर आदि)	वेजाइनल / यूनिथल / एनल स्वाब / स्मीयर आदि को पूर्ण रूप से छाया में सुखावे। एफ.टी.ए. कार्ड / तरल रक्त उपरोक्तानुसार	कागज के लिफाफे / कपड़े के पैकेट अथवा शीशी में सुविधा अनुसार सील पैक करें। एफ.टी.ए. कार्ड / तरल रक्त उपरोक्तानुसार	स्वाब, वेजाइनल स्मीयर पर उपरिथत डी.एन.ए. गुलजिम / गुलजिमों के कंट्रोल रक्त सैम्पल के डी.एन.ए. से मिलान खाता है अथवा नहीं ?
संदिग्ध पैतृकता / नवजात शिशु की अदला-बदली	रक्त के नमूने (कंट्रोल सेम्पल)	एफ.टी.ए. कार्ड / तरल रक्त उपरोक्तानुसार	एफ.टी.ए. कार्ड / तरल रक्त उपरोक्तानुसार	- शिशु व संदिग्ध व्यक्ति के डी.एन.ए. का मिलान किया जाकर बताया जावे की शिशु संदिग्ध व्यक्ति की जैविक संतान है या नहीं ? - माता पिता व विवादित शिशुओं का डी.एन.ए. परीक्षण किया जाकर माता पिता की सही पहचान की जावे।

डी.एन.ए परीक्षण के लिए Do's एवं Don'ts

Do's	Don'ts
• विवादित पितृत्व के प्रकरणों में शिशु, माता एवं विवादित पिता के रक्त के नमूनों को भेजा जाना चाहिए। • अज्ञात शव, क्षत-विक्षत शवों, कंकाल इत्यादि की पहचान के लिए (माता-पिता) के रक्त नमूनों को अज्ञात शव के नमूने के साथ भेजा जाना चाहिए। • डीएनए परीक्षण से किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए उसके सम्भावित माता-पिता के रक्त के नमूने (कन्ट्रोल सेम्पल) एफ.टी.ए. कार्ड पर अथवा कोल्ड चेन में लिए जाने चाहिए। • माता-पिता उपलब्ध नहीं होने पर संतान का कन्ट्रोल रक्त सेम्पल उपरोक्तानुसार भेजा जाना चाहिए। • कन्ट्रोल के रूप में रक्त के अतिरिक्त मुँह से Sterile Buccal Swab भी संरक्षित कराया जा सकता है, किन्तु इसके लिए विशेष सावधानी रखे जाने के सम्बन्ध में फोरेन्सिक मोबाईल यूनिट के वैज्ञानिकों से सम्पर्क किया जाना चाहिए। • यौन अपराध के प्रकरणों में पीड़ित/पीड़िता के मेडिकल जाँच के समय संरक्षित प्रादरशों के साथ पीड़ित/पीड़िता और अपराधी/सम्भावित अपराधी के घटना के समय पहने हुए कपड़े व रक्त नमूनों को एफ.टी.ए. कार्ड पर भी भेजा जाना चाहिए। • संलग्न प्रोफार्मा अनुसार प्रत्येक रक्त दाता के लिए पहचान पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। • मृतक अथवा क्षत-विक्षत अथवा पूती भवन (putrefied) हो चुके शव से अरिथ प्राप्त में समस्या आ सकती है। अतः शव से दो-तीन पूर्ण मोलर (दाढ़) दाँत लिये जाने चाहिये। • पोस्टमार्टम के समय हृदय से रक्त लिया जाकर EDTA शीशी में या FTA कार्ड पर संरक्षित किया जाना चाहिये।	• जैविक प्रादरशों को बिना दस्ताने (Gloves) पहने नहीं छूना चाहिये। • प्रादरशों को बिना विलम्ब के प्रयोगशाला में जमा करवाए। • जैविक प्रादरशों को पॉलिथिन/ पॉली बेग अथवा वायुराधी बर्तन में न भेजे। • राख तथा पूर्णतया जली हुई अस्थियाँ डीएनए टेस्ट के लिए उपयोगी नहीं हैं। • संग्रहण के लिए फॉर्मलिन का प्रयोग कदापि न करें। • किसी प्रकार के डीएनए मिलान हेतु वीर्य का कन्ट्रोल सेम्पल नहीं लिया जाना चाहिये। • बाल को कन्ट्रोल सेम्पल के रूप में नहीं भेजा जाना चाहिये। • प्रकरण में डीएनए परीक्षण सम्बन्धी राय स्पष्ट रूप से मांगी जानी चाहिए।

डीएनए - नमूना संग्रहण

डीएनए नमूनों को एफ.एस.एल भेजने के संबंध में प्रायः देखा गया है कि डीएनए के बहुत अधिक संख्या में नमूने लेकर एफ.एस.एल भेजे जाते हैं, जिससे जांच के मूल परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अत्यधिक संख्या में लिये गये नमूनों के वैज्ञानिक विश्लेषण से अत्यधिक विलंब होता है, अतः -

- (1) शरीर संबंधी अपराधों में डीएनए का श्रेष्ठ नमूना एफ.एस.एल भेजा जाए। साधारण परिस्थितियों में डीएनए के 5 से अधिक नमूने एफ.एस.एल नहीं भेजे जाएं।
- (2) यदि डीएनए के 5 से अधिक नमूनों को एफ.एस.एल के लिए भिजवाने की आवश्यकता हो तो संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक की अनुमति से निम्न प्ररूप में भिजवाएं :-

प्रकरण संख्या	अपराध एवं विधि	लिये गये नमूनों की संख्या	डीएनए के 5 से अधिक नमूनों के एफ.एस.एल भिजवाने का कारण

हस्ताक्षर

जिला पुलिस अधीक्षक

(Form to be used by the donor of control sample for DNA examination)

STATE FORENSIC SCIENCE LABORATORY RAJASTHAN

NEHRU NAGR, JAIPUR.302016

Phone & Fax : 0141-2301584

Identification Form

*Affix photo of
blood donor*

Name
Father/guardians/husbands name
Age
Gender
Caste Male / Female.....
Address
Visible genetic abnormalities
(if any) Description of sample
Date of sample collection
FIR No./Date/U.S./P.S./Distt.

Declaration by donor / guardian

I..... son / daughter / wife / or guardian of Km/master of

Hereby declare that the blood is given with my consent for DNA fingerprinting. The blood is mine / is of my child and I / it didn't receive a blood transfusion within last three months.

Signature/thumb impression
of donor/guardian

Name, Signature and seal of Medical Officer with date-

Blood sample is collected in the presence of the following witnesses.

1. Name and signature
2. Name and signature

Signature of Investigation Officer with seal

डिजिटल डिवाइस / प्रदर्श की जब्ती / पैकिंग के लिए चेकलिस्ट एवं आवश्यक दिशा निर्देश

1. डिजिटल प्रदर्श (कम्प्यूटर / लैपटॉप / पेनड्राइव / मैमोरी कार्ड / सीडी / डिवीडी / मोबाइल फोन, टेबलेट / डि.वी.आर. / एन.वी.आर. आदि) को जब्त करने से पहले फोटोग्राफी / विडियोग्राफी करवाया जाना उचित रहता है।
2. डिजिटल प्रदर्श की जब्ती के बाद डिजिटल डिवाइस को सामान्यतया एक्सेस नहीं करना चाहिए।
3. डिजिटल प्रदर्श की जब्ती भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 61 से 63 के अनुसार डिजिटल प्रदर्श को उचित रूप से सीलड कर संबंधित निर्धारित प्रारूप के साथ भिजवाया जाना चाहिए।
4. डिजिटल प्रदर्श (कम्प्यूटर / लैपटॉप / पेनड्राइव / मैमोरी कार्ड / सीडी / डिवीडी / मोबाइल फोन, टेबलेट / डि.वी.आर. / एन.वी.आर. आदि) से संबंधित प्रकरण में प्रकरण में उपलब्ध करवायी गई सेकेण्डरी सॉफ्ट कॉपी (सीडी / डिवीडी / पेनड्राइव / मैमोरी डिवाइस / हार्ड कॉपी आदि) अथवा मैमोरी डिवाइस में मौजूद साक्ष्य की हार्ड कॉपी होने की स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की प्रति को अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर मय प्रकरण विवरण अंकित कर पूर्ण सुरक्षा के साथ सिलड पैकेट में भिजवाया जाना चाहिए।
5. डिजिटल प्रदर्शों के सभी घटक / मैमोरी डिवाइस को यथास्थल लेबल / मार्का करें।
6. डिजिटल प्रदर्शों के सभी घटक / मैमोरी डिवाइस की फोटोग्राफी या विडियोग्राफी करें।

(i) कम्प्यूटर, लैपटॉप, पेनड्राइव, मैमोरी कार्ड आदि के लिए

- कम्प्यूटर आदि के बंद स्थिति में पाये जाने पर केवल हार्ड डिस्क का ब्राण्ड, मॉडल / प्रोडक्ट नंबर, सीरियल नंबर, फर्मवेयर तथा क्षमता की जानकारी फर्द जब्ती में दर्ज की जानी चाहिए।
- कम्प्यूटर आदि सभी प्रादर्शों की जब्ती के दौरान चालू स्थिति में पाये जाने पर, आवश्यक होने पर, 'रैम डंप' लेकर सीधे कम्प्यूटर से पॉवर प्लग खींचकर सी.पी.यू. आदि की हार्ड डिस्क की विस्तृत जानकारी (ब्राण्ड, मॉडल / प्रोडक्ट नंबर, सीरियल नंबर, फर्मवेयर नंबर तथा क्षमता आदि) फर्द जब्ती में दर्ज की जानी चाहिए।
- इन डिजिटल एवीडेंस की हार्ड डिस्क पर आरोपी, गवाह तथा अनुसन्धान अधिकारी के हस्ताक्षर होना उचित होता है।
- कम्प्यूटर के सीपीयू / लेपटॉप मय पावर एडप्टर के साथ हार्डडिस्क भेजे जाने की स्थिति में, हार्डडिस्क को सीपीयू / लेपटॉप में वापस यथा स्थान पर फिक्स करके कपडे के बैग में सीलड कर पैक किया जाना आवश्यक है।
- केवल हार्डडिस्क को जब्त किये जाने कि स्थिति में उसे सर्वप्रथम इलेक्ट्रो-स्टैटिक बैग, फिर बबल प्लास्टिक बैग में पैक कर कार्ड बोर्ड से कवर कर कपडे के बैग में पैक किया जाना आवश्यक है।
- डेटा संबंधित राय के लिए की-बोर्ड, माउस, मॉनिटर को जब्त करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- नेटवर्क से जुड़े कम्प्यूटर / लेपटॉप की जब्ती के दौरान कम्प्यूटर / लेपटॉप को नेटवर्क से सुरक्षित रूप से डिसकनेक्ट कर देना चाहिए इसके लिए इथरनेट केबल को भौतिक रूप से अनप्लग कर दे अथवा सिस्टम सेटिंग या हार्डवेयर स्विच के माध्यम से इथरनेट / वाईफाई को अक्षम करें इसके अतिरिक्त नेटवर्क टॉपोलोजी की जानकारी फर्दजब्ती में अंकित की जानी चाहिए।
- कम्प्यूटर / लेपटॉप / मैमोरी डिवाइस में प्रकरण से संबंधित पिक्चर / डाक्युमेंट / विडियो फाईल आदि साक्ष्य के फाईल नेम / मेटा डेटा एवं फाईल